न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

फर्द अहकाम

मु॰ 58/14 तारीख दर्ज 27.10.14

उनवान - बद्री प्रसाद बनाम सियाराम
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री दिलावर सिंह Adv. ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 18.11.14 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

2592-2625

28-10-14

18/11/14 प्रार्थी वकील उप॰ / अप्रार्थीगण नं. 1 ता. 11 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने वकालत नामा पेश किया है। प्रतिवादी नं. 12 ता. 21, 24, 29, 30, 31, 33, 34 बावजूद सूचना उप॰ नहीं है अप्रार्थी नं. 22, 23, 25, 26, 27, 28 के बाद रहने की रिपोर्ट तथा प्रतिवादी नं. 32 के फौत होने की रिपोर्ट तामील कुनिंदा ने की है। P.O. साहब करौली मीटिंग में पधारे हैं। वादी अंतिम आदेश दिनांक 22.12.14 को पेश हो।

22/12/14 वकुलाप उप॰ / प्रतिवादी नं. 12 ता. 21, 24, 29, 30, 31, 33, 34 के वि॰ ऐ॰ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वादी वकील प्रतिवादी नं. 22, 23, 25, 26, 27, 28 के पुनः समन तलबात

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 2

क्र	फर्द अहकाम	नोट
22/12/15	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीटिंग में कलेक्टी पधारे है। गतानुसार दिनांक 3.1.15 को पेश हो।	
3.1.15	वकुलाय उप०। गतानुसार वास्ते जबाब बतलवी दि. 16.12.15 को पेश हो।	
16.12.15	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप. वकील वादी उपस्थित नही० है। कई बार आवाज दिलाई गई। फिर भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नही० है अतः अदमहाजिरी एवं अदम पैरवी में प्रार्थना पत्र अस्वीकृत निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।	

Scanned by CamScanner